

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-112/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुनिता कुमारी, नर्स-2, (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप (जोधपुर) का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

| क्र.सं. | दिनांक से | दिनांक तक | अवधि दिवस में | अवकाश का प्रकार |
|---------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 | 12.03.16 | 20.03.16 | 09 | असाधारण अवकाश |
| 2 | 26.03.16 | 07.04.16 | 13 | असाधारण अवकाश |
| 3 | 21.04.16 | 05.05.16 | 15 | असाधारण अवकाश |
| 4 | 07.05.16 | 21.05.16 | 15 | असाधारण अवकाश |

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-51-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11-5-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-112/2018/657

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप (जोधपुर)।
3. श्रीमती सुनिता कुमारी, नर्स-2, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर